न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

(4)

प्रकरण क्रमांक 04/सी–145/धारा–40/2017–18 दिनांक 12.03.2018

मध्यप्रदेश शासन — आवेदक

विरुध्द

1. श्री मुनेश मोजीलाल, सरपंच
2. श्री बालकृष्ण मोरे तत्कालिन सचिव
3. श्री प्रदीप मावस्कर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत धारबेलथड

— अनावेदकगण

(पारित आदेश दिनांक 27/7/18)

प्रस्तुत प्रकरण शिकायकर्ता श्री अविनेश जैसवाल उपसरपंच एवं अन्य पंचगण ग्राम पंचायत धारबेलथड की शिकायत पर जांचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 एवं 06.10.2017 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र क्र./3740/दिनांक 03.10.2017 एवं पत्र क्र./3772/06.10.2017 के आधार पर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 92 के तहत अनावेदकगणो के विरुध्द प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 06.10.2017 को नोटिस जारी किया गया। शिकायत की जांच श्री गजमोहन बरिहा प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा की गई। जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा ग्राम पंचायत धारबेलथड के सरपंच श्री मुनीश मोजीलाल, श्री बालकृष्ण मोरे तत्कालिन सचिव, श्री प्रदीप मिठाराम मावस्कर ग्राम रोजगार सहायक के विरुध्द दायित्व के निर्वहन में लापरवाही के कारण म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिसमें अनावेदकगणो के विरुध्द 177332/– रुपये की वसूली एवं सरपंच के विरुध्द धारा 40 के तहत कार्यवाही, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है।

श्री गजमोहन बरिहा प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 एवं 06.10.2017 में बताया गया है कि:–

01. श्री मनोज भावसार के नाम से की गई भुगतान राशि 38900/– रुपये वसूली योग्य है।
02. श्री रमेंश प्रतिराम के नाम से 27000/– रुपये आहरण विरुध्द संदेहस्पद है।
03. श्री योगेश मावस्कर के नाम से किये गये भुगतान में से 11500/– रुपये वसूली योग्य है।
04. श्री मुनेश पिता मोजीलाल वर्तमान सरंपच ग्राम पंचायत धारबेलथड के नाम से दिनांक 27.06.2016 से 09.09.2016 तक तत्कालिन सचिव श्री बालकृष्ण मोरे कुल राशि 30500/– रुपये का भुगतान गलत प्रक्रिया से किया गया है। सचिव व्दारा नियम चुक हुई है, संबंधितो को राशि का भुगतान किया गया है।
05. श्री मनोज भावासार निवासी ग्राम पंचायत तुकईथड के नाम से 38900/– रुपये आहरण जबकि मनोज भावसार व्दारा बताया गया की उन्हें 12000/– रुपये ही प्राप्त हुए है। आहरण राशि एवं किया गया भुगतान संदेहस्पद होने के कारण पूरी राशि 38900/– वसूली योग्य है।
06. श्री रमेंश प्रतिराम के नाम से 27000/– रुपये आहरण के संबंध में पंचायत एवं रमेंश प्रतिराम के कथन विरोधाभास है।
07. श्री योगेश मावस्कर जो की रोजगार सहायक का चाचा है, गलत भुगतान 11500/– रुपये किया गया जो वसूली योग्य है।

न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

(4)

प्रकरण क्रमांक 04/सी–145/धारा–40/2017–18 दिनांक 12.03.2018

मध्यप्रदेश शासन — आवेदक

विरुध्द

1. श्री मुनेश मोजीलाल, सरपंच
2. श्री बालकृष्ण मोरे तत्कालिन सचिव
3. श्री प्रदीप मावस्कर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत धारबेलथड

— अनावेदकगण

(पारित आदेश दिनांक 27/7/18)

प्रस्तुत प्रकरण शिकायकर्ता श्री अविनेश जैसवाल उपसरपंच एवं अन्य पंचगण ग्राम पंचायत धारबेलथड की शिकायत पर जांचकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 एवं 06.10.2017 तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार के पत्र क्र./3740/दिनांक 03.10.2017 एवं पत्र क्र./3772/06.10.2017 के आधार पर म.प्र. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं धारा 92 के तहत अनावेदकगणो के विरुध्द प्रकरण दर्ज किया जाकर दिनांक 06.10.2017 को नोटिस जारी किया गया। शिकायत की जांच श्री गजमोहन बरिहा प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा की गई। जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा ग्राम पंचायत धारबेलथड के सरपंच श्री मुनीश मोजीलाल, श्री बालकृष्ण मोरे तत्कालिन सचिव, श्री प्रदीप मिठाराम मावस्कर ग्राम रोजगार सहायक के विरुध्द दायित्व के निर्वहन में लापरवाही के कारण म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई। जिसमें अनावेदकगणो के विरुध्द 177332/– रुपये की वसूली एवं सरपंच के विरुध्द धारा 40 के तहत कार्यवाही, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है।

श्री गजमोहन बरिहा प्रभारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत खकनार व्दारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 03.10.2017 एवं 06.10.2017 में बताया गया है कि:–

01. श्री मनोज भावसार के नाम से की गई भुगतान राशि 38900/– रुपये वसूली योग्य है।
02. श्री रमेंश प्रतिराम के नाम से 27000/– रुपये आहरण विरुध्द संदेहस्पद है।
03. श्री योगेश मावस्कर के नाम से किये गये भुगतान में से 11500/– रुपये वसूली योग्य है।
04. श्री मुनेश पिता मोजीलाल वर्तमान सरंपच ग्राम पंचायत धारबेलथड के नाम से दिनांक 27.06.2016 से 09.09.2016 तक तत्कालिन सचिव श्री बालकृष्ण मोरे कुल राशि 30500/– रुपये का भुगतान गलत प्रक्रिया से किया गया है। सचिव व्दारा नियम चुक हुई है, संबंधितो को राशि का भुगतान किया गया है।
05. श्री मनोज भावासार निवासी ग्राम पंचायत तुकईथड के नाम से 38900/– रुपये आहरण जबकि मनोज भावसार व्दारा बताया गया की उन्हें 12000/– रुपये ही प्राप्त हुए है। आहरण राशि एवं किया गया भुगतान संदेहस्पद होने के कारण पूरी राशि 38900/– वसूली योग्य है।
06. श्री रमेंश प्रतिराम के नाम से 27000/– रुपये आहरण के संबंध में पंचायत एवं रमेंश प्रतिराम के कथन विरोधाभास है।
07. श्री योगेश मावस्कर जो की रोजगार सहायक का चाचा है, गलत भुगतान 11500/– रुपये किया गया जो वसूली योग्य है।

ग्राम पंचायत में श्रमिक नियोजन का कार्य रोजगार सहायक व्दारा किया जाता है। इनके व्दारा आंगनवाडी सहायका चतरु बाई रामु मस्टर क्र. 1254 दिनांक 10.06.2016 से 16.06.2018 तक 1002/– खेत तालाब निर्माण हेतु पोस्टमेन श्री मोहन सिंह ईट क्रय के खाते में व्हाउचर क्रमांक 27 दिनांक 30.06.2017 को 7000/– रुपये आंगनवाडी निर्माण हेतु मस्टर क्रमांक 1254 दिनांक 10.06.2016 से 16.06.2018 तक क्रमांक 01 से 36 (खेत तालाब निर्माण) जगन बंशी के खेत में राशि 36072/– रुपये सहकारी समिति में नियमित भृत्य श्री हरचंद सिताराम मस्टर रोल क्रमांक 1559 दिनांक 19.06.2016 से 25.06.2016 तक खेत तालाब निर्माण जगन बंशी के खेत में राशि 1002/– रुपये, मस्टर रोल क्रमांक 01 से 28 तक 28056रु/– रुपये इस प्रकार कुल राशि 71128/– रुपये गबन की श्रेणी में आता है। स्कूल में पढने वाले बच्चो एवं दुसरे के यहॉ नियमित रुप से ड्रायवरो के नाम से राशि आहरण की गई। इस प्रकार ग्राम रोजगार सहायक व्दारा गलत हाजरी लगाकर गलत भुगतान किया गया। जो गंभीर शासकीय राशि का गबन की श्रेणी के खिलाफ उचित कार्यवाही किया जाने हेतु लिखा गया।

अनावेदक श्री प्रदीप मावस्कर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत धारबेलथड व्दारा अपने लिखित आवेदन दिनांक दिनांक 12.10.2017 में बताया है कि:–

श्री मुनेश पिता मोजीलाल सरपंच ग्राम पंचायत धारबेलथड के नाम से आहरित राशि 33500/– रुपये मनोज भवसार के नाम से आहरति राशि 38900/– रुपये, श्री रमेंश प्रतिराम के नाम से आहरित राशि 27000/– रुपये उसके कार्यकाल से संबंधित नहीं है। श्री मावस्कर ने अपने जवाब में आगे बताया गया की श्री योगेश मावस्कर को चौकीदार के कार्य के लिए 2500/– प्रतिमाह के मान से 17500/– रुपये भुगतान किये गये। चतरु बाई रामु के खाते में सविता बाई के खेत तालाब निर्माण की मजदुरी की राशि 1002/– रुपये डाली गई। क्यो की सविता बाई के पास बैंक खाता नहीं था। चतरु बाई व्दारा उसके समक्ष सविता बाई को 1002/– रुपये का भुगतान बैंक से आहरित कर किया गया। हरचंद सिताराम कें खेत में रामसिंह तोताराम की मजदुरी की राशि खेत तालाब निर्माण हेतु डाली गई है, क्यो की रामसिंह तोताराम के पास बैंक खाता नहीं था। हरचंद व्दारा अपने बैंक खाते में 1002/– रुपये निकालकर रामसिंह तोताराम को भुगतान किया गया। जैसा कि उपके कथनो से स्पष्ट है। निलेश मोनिका एवं जय की आयु 18 वर्ष से अधिक होने एवं स्कूल कॉलेज बंद रहने के दौरान खेत तालाब में निर्माण में कार्य माह जुन 2016 में किया गया। जिसके आधार पर उनको मजदुरी भुगतान की गई। मिठाराम पिता सिताराम नियमित ड्रायवर नहीं है। इसके कारण उसको मनरेगा में की गई मजदुरी के आधार पर मजदुरी राशि प्रदाय की गई है। अनावेदक व्दारा यह भी बताया गया की शिकायत में उल्लेखित सभी कार्य उपयंत्री के मागदर्शन में किये जाकर कार्य का मूल्याकंन एवं सी.सी. जारी की गई है। भौतिक सत्यापन में कार्य मौके पर मौजुद है। इस प्रकार उसके व्दारा नियमानुसार ही राशि व्यय की गई है, एवं उसके विरुध्द लगाये गये राशि 71128/– रुपये के गबन का आरोप गलत है। इन आधारो पर शिकायतकर्ता की जांच प्रतिवेदन को गलत बताते हुए प्रकरण नस्तीबध्द करने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक श्री बालकृष्ण मोरे व्दारा अपने जवाब दिनांक 12.10.2017 में बताया गया है की:–

श्री मुनेश पिता मोजीलाल वर्तमान सरंपच ग्राम पंचायत धारबेलथड के नाम से दिनांक 27.06.2016 से 09.09.2016 तक 33500/– भुगतान किये गये। उक्त भुगतान राशि पूर्व सरपंच, पंच एवं वर्तमान सरपंच, पंच के मानदेय का भुगतान किया गया। पूर्व सरपंच पंचो के बैंक खाते न होने से वर्तमान सरपंच की सहमति से श्री मुनेश मोजीलाल के बैंक खातें में राशि आहरित की गई। श्री मुनेश मोजीलाल संरपच व्दारा आहरित राशि संबंधित को प्रदाय की गई। मनोज भावसार के नाम से 38900/– का भुगतान, योगेश मावस्कर के नाम से 17500/– रुपये इनके कार्यकाल का नहीं होना बताया जाकर प्रकरण नस्तीबध्द करने का निवेदन किया गया है।

अनावेदक श्री मुनेश मोजीलाल व्दारा अपने जवाब दिनांक 12.10.2017 में बताया गया है कीः-

श्री मुनेश पिता मोजीलाल वर्तमान सरंपच ग्राम पंचायत धारबेलथड के नाम से दिनांक 27.06.2016 से 09.09.2016 तक 33500/- भुगतान किये गये। उक्त भुगतान राशि पूर्व सरपंच, पंच एवं वर्तमान सरपंच, पंच के मानदेय का भुगतान किया गया। पूर्व सरपंच पंचो के बैंक खाते न होने से वर्तमान सरपंच की सहमति से श्री मुनेश मोजीलाल के बैंक खातें में राशि आहरित की गई। श्री मुनेश मोजीलाल संरपच व्दारा आहरित राशि संबंधित को प्रदाय की गई। श्री मनोज भावसार निवासी तुकईथड को 38900/- रुपये का भुगतान पंचायत व्दारा समय-समय पर किये कार्यो का भुगतान किया गया। श्री रमेंश प्रतिराम को 27000/- रुपये का भुगतान 04 सी.सी. रोड में जगह-जगह नालीयो पर पाईप होने से वहा पर पाईप और लोहे की जाली एवं छोटी-छोटी पुलीया पर कार्य किये जाने के देयक का भुगतान किया गया। श्री योगेश मावस्कर व्दारा ग्राम पंचायत में चौकीदारी का कार्य जुलाई 2016 जनवरी 2017 तक 07 माह भुगतान 2500/- प्रतिमाह के मान से 17500/- भुगतान किया गया। चतरु बाई रामु को किया गया भुगतान खेत तालाब निर्माण में सविता बाई के पास बैंक खाता नहीं होने के कारण उनके परीचित चतरु बाई रामु के खाते में राशि 1002/- रुपये जमा की गई। चतरु बाई नें राशि आहरण कर सविता बाई को प्रदाय की गई। ग्राम पंचायत धारबेलथड में आंगनवाडी भवन निर्माण हेतु 2000 ईट क्रय की गई। जिसका भुगतान 7000/- रुपये जिसका भुगतान श्री मोंहन सिंह सिताराम को ईपीओ के माध्यम से भुगतान किया गया। हरचंद सिताराम को किया गया भुगतान खेत तालाब निर्माण में रामसिंग सितारात के पास बैंक खाता न होने से उनके परीचित हरचंस सिताराम के खाते में राशि 1002/- रुपये जमा की गई। हरचंद सितराम व्दारा उक्त राशि रामसिंह सिताराम को प्रदाय की गई। स्कूल में पढने वाले बच्चो एवं दुसरे के यहा नियमित रुप से ड्रायवरो के नाम से आहरित राशि के संबंध में निलेश मोनिका एवं जय की आयु 18 वर्ष से अधिक होने एवं स्कूल कॉलेज बंद रहने के दौरान खेत तालाब में निर्माण में कार्य माह जुन 2016 में किया गया। जिसके आधार पर उनको मजदुरी भुगतान की गई। मिठाराम पिता सिताराम नियमित ड्रायवर नहीं है। इसके कारण उसको मनरेगा में की गई मजदुरी के आधार पर मजदुरी राशि प्रदाय की गई है। सभी कार्य उपयंत्री के मागदर्शन में किये जाकर कार्य का मूल्याकंन एवं सी. सी. जारी की गई है। भौतिक सत्यापन में कार्य मौके पर मौजुद है। सभी कार्य पर नियमानुसार व्यय किया गया है। अतः उक्त बिन्दु निरस्ती योग्य है। अतः उक्त कंडिका से मुक्त करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरण में जांच के दौरान जांच अधिकारी श्री गजमोहन बरिहा के कथन प्रतिपरीक्षण अनावेदक मुनेश, प्रदीप, मनोज मावस्कर एवं बालकृष्ण मोरे के कथन दर्ज किए गये। जांच अधिकारी व्दारा अपने कथन दिनांक 24.04.2018 में बताया गया की उसके व्दारा ग्राम पंचायत धारबेलथड के सरपंच/सचिव/ग्राम रोजगार सहायक के विरुध्द शिकायत की जांच दर्ज की गई। जिसमें उसके व्दारा अनावेदकगणो एवं हितग्राहीयों के कथन लिए गए थे। जांच अधिकारी ने अपने बयान में आगे भी बताया की प्रतिवेदन में उल्लेखित राशि के दुरुपयोग के लिए श्री प्रदीप मावस्कर तत्कानिल सचिव बानकृष्ण मोरे एवं विलास महाजन दोषी है। अनावेदकगणो व्दारा अपने कथनो में लिखित जवाब में बताई गई बातो को ही दोहराया है।

मेरे व्दारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो के आधार पर पाया जाता है कि अनावेदकगणो व्दारा ग्राम पंचायत धारबेलथड में कुल 177332/- रुपये का नियम विरुध्द भुगतान किया गया है। जिसके विरुध्द अनावेदकगणो श्री मुनेश मोजीलाल, सरपंच, श्री बालकृष्ण मोरे तत्कालिन सचिव, श्री प्रदीप मावस्कर, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत धारबेलथड ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जो यह सिध्द कर सके की अनावेदकगणो के विरुध्द नियमानुसार भुगतान किया गया है। अनावेदकगणो के बयान जवाब मात्र के आधार पर इनको दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। अतः कुल वूसली योग्य राशि 177332/- रुपये में से 14300/- रुपये श्री कैलाश महाजन एवं 16332/- रुपये श्री बालकृष्ण मोरे के कार्यकाल के है इस कारण कैलाश महाजन 7150/- रुपये सरपंच श्री मुनेश मोजिलाल 61494/- रुपये इसके बाद श्री बालकृष्ण मोरे 54344/- रुपये एवं प्रदीप मावस्कर

ग्राम रोजगार सहायक 54344/– रुपये आगामी 15 दिवस में ग्राम पंचायत धारबेलथड के खाते में जमा करे, अन्यथा उन्हें म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के प्रावधानो के तहत सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

अनावेदक श्री मुनेश मोजीलाल सरपंच ग्राम पंचायत धारबेलथड व्दारा आर्थिक अनियमितता एवं पद के निर्वाहन में की गई लापरवाही के कारण म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के प्रावधानो के तहत ग्राम पंचायत धारबेलथड के सरंपच पद से पृथक करने का ओदश दिया जाता है। अन्य अनावेदकगणो के विरुध्द संक्षम अधिकारी कडी अनुशासनात्मक कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 27.07.2018 को जारी किया गया।
आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

शीलेन्द्र सिंह 27/7
(IAS)
विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

पृ.क्रं. 2254/जि.पं./न्याया.शा./2018
बुरहानपुर दिनांक 27.07.2018

प्रतिलिपिः–

1. जिला पंचायतराज अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित ..... की ओर सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर